DRINK DRIVE DEATH

Lalit Kumar
Assistant Professor, Department of History, Sanatan Dharma College Ambala Cantt

भारत में दुनिया के एक फीसदी वाहन हैं पर सड़कों पर वाहन दुर्घटनाओं के चलते विश्वभर में होने वाली मौतों में 11 प्रतिशत मौत भारत में होती हैं विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है ए भारत में सालाना करीब साढ़े चार लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें डेढ़ लाख लोगों की मौत होती हैए रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में भारतीय सड़कों पर 13 लाख लोगों की मौत हुई है और इनके अलावा 50 लाख लोग घायल हुए हैं स रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के चलते 5.96 लाख करोड़ रुपये यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.14 प्रतिशत के बराबर नुकसान होता है स सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा हाल ही में किये गये एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि

भारत में सड़क दुर्घटनाओं से 1,47,114 करोड़ रुपये की सामाजिक व आर्थिक क्षति होती है, जो जीडीपी के 0.77 प्रतिशत के बराबर है मंत्रालय के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं का शिकार लोगों में 76.2 प्रतिशत ऐसे हैं, जिनकी उमग्र 18 से 45 साल के बीच हैए यानी ये लोग कामकाजी आयु वर्ग के हैं स आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं।

हर जगह एक्सीडेंट इतने ज्यादा हो रहे है, कि इन से निजात पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो

ISBN: 978-81-955611-9-3

रहा है। सड़क दुर्घटना के चलते ना जाने कितने ही परिवार उजड़ जाते हैं। जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है स लोग अक्सर सरकार पर यह आरोप लगाते हैं, कि सरकार ने हेलमेट ना पहनने के लिए इतने रुपए का जुर्माना लगा दिया है। सीट बेल्ट ना पहनने पर इतने रुपए का जुर्माना भरना जरूरी है, परंतु कभी किसी ने क्या यह सोचा है, कि सरकार यह क्यों करती है? यह सिर्फ हमारे भविष्य को और हमें बचाने के लिए ही करती है। हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो, हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है यह हमारे बचाव के लिए ही होती है।हमारे भारत में जितनी बेवकूफी सड़क दुर्घटनाओं को लेकर की जाती है, उतनी किसी देश में नहीं होती है। अगर सभी सावधानियों को बरतते हुए ड्राइविंग करेंगे, तो हमारे भारत में भी सड़क दुर्घटना के किस्से कम हो जाएंगे। हमारे भारत में लगभग 1 साल में डेढ़ लाख से भी अधिक सड़क दुर्घटना के मामले सामने आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? अगर हम थोड़ी सी सावधानी को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग करेंगे तो सड़क दुर्घटनाएं अपने आप ही कम हो जाएंगी।आंकड़ों से पता चलता है कि एक्सिवडेंट का सबसे प्रमुख कारण शराब पीकर ड्राइविंग करना हैभारत में इसका आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है भारत के सभी शहरों में इसे रोकने के लिए पुलिस की ओर से चेक प्वाकइंट्स लगाए गए हैं ।

शराब ना केवल स्वास्थ्य बल्कि जीवन के कई मोड पर हमारे लिए हानिकारक साबित होती है। मसलन, शरब पीकर गाड़ी चलाना, जिसके कारण चालान का सामना करना पड़ सकता है। शराब पीकर गाड़ी चलाना भारत समेत दुनिया के कई देशों प्रतिबंधित है, लेकिन यहां शराब पर प्रतिबंध नहीं है। इसलिए हर साल बड़ी संख्या में ड्रंक एंड ड्राइव के केस सामने आते हैं। बात अगर ड्रिंक एंड ड्राइव तक ही नहीं, इसके कारण होने वाले हादसों की भी है। भारत में बड़ी संख्या में सड़क हादसों का कारण शराब के नसे में गाड़ी चलाना है।

बहुत से लोगों को लगता है कि वह शराब पीने के बाद माउथ फ्रेशनर या ब्रश करके गाड़ी चलाएंगे तो पुलिस को चकमा दे देंगे। ऐसा सोचना उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। तकनीक के सहारे पुलिस काफी एडवांस हो गई है। भारत के बड़े या छोटे शहर हर जगह ट्रैफिक

ISBN: 978-81-955611-9-3

पुलिस द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में एक खास तरह की मशीन (ब्रेथलाइजर) इस्तेमाल की जाती है, जिसके जरिए वह आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा शख्स शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और कौन सा नहीं। खास बात ये है कि इस मशीन के जरिए व्यक्ति ने कितनी मात्रा में शराब पी है, इसकी भी पूरी जानकारी मिल जाती है।

आमतौर पर रेग्युलर बीयर (300 ml या एक पाइंट) में 4 फीसदी एल्कोहल रहता है या टोटल 13.2 उस एल्कोहल होता है। वहीं, रेगुलर व्हीस्की (30 ml) में 43 फीसदी एल्कोहल या 12.9 उस एल्कोहल होता है। इसके अलावा, रेगुलर वाइन (100 ml) में 12 फीसदी या 12 उस एल्कोहल होता है स

हाल में वर्जिनि या टेक यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि बीयर की दो पाइंट बोतल में 600 एमएल, लार्ज व्हीस्की में 60 एमएल और वाइन के दो ग्लास में 200 एमएल लेने से बल्ड एल्कोहल कंटेंट का हिस्सा बनता है। इस रिसर्च के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि 9.5 एमएल का एल्कोहल उतरने में 1 घंटे का वक्त लगताहै।

यानी पाइंट बीयर पीने के बाद ड्राइवर को कम से कम 90 मिनट का इंतजार करना चाहिए, इसके बाद ही किसी गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए। बीयर का नशा उतरने में समय कम लगता है, लेकिन किसी ने लार्ज व्हीस्की पी है तो उसे 3 घंटे बाद ही किसी गाड़ी को चलाना चाहिए।

स कह सकते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाना मौत को दावत देने जैसा है। दुर्घटना होने पर इसके परिणाम बहुत घातक होते हैं और इस में घायल हुए लोगों का आर्थिक नुकसान भी होना संभव होता है।

शराब पीकर ड्राइव करना भारत सहित पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है। भारत में आए दिन शराब के नशे में ड्राइव करने की वजह से ना जानें कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। खासतौर पर देश के बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं हर रोज देखने को मिल रही हैं। सरकार ऐसे लोगों खिलाफ लगातार मुहिम चलाती रही है लेकिन, सख्त नियम–कानून के बावजूद लोग कानून की धज्जियां उड़ाने में देर नहीं लगाते और अपनी जान के साथ साथ दूसरों की

ISBN: 978-81-955611-9-3

जान भी खतरे में डाल देते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा जारी किए गए एक आंकड़े में ये पाया गया है कि करीब 400 लोग हर रोज सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं। ये आंकड़ा वाकई दिल–दहलाने वाला है। हर रोज हो रहे इन हादसों में कई ऐसे मामले भी होते हैं जो शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं। हम आपको बताते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाना किस हद तक खतरनाक हो सकता है और सरकार ने ऐसे लोगों से निपटने के लिए क्या कानून बनाए हैं।

1. शराब पीकर गाड़ी चलाने के खतरे –

शराब में मौजूद अल्कोहल की वजह से इंसान अपने होश खो देता है। ऐसे में शराब पिए हुए व्यक्ति का रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है। जिसकी वजह से सड़क पर किसी खतरनाक परिस्थिति में ड्राइवर गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाता। – शराब पीकर गाड़ी चलाना मतलब हादसे को न्योता देना। इस हादसे में कार में सवार लोगों को गंभीर चोट लग सकती है या फिर जान भी जा सकती है। – शराब पीकर गाड़ी चलाने से आपको तो खतरा है ही, साथ में उन लोगों को भी खतरा है जो सड़क पर चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं। शराब के नशे में हो सकता है आपकी टक्कर दूसरी गाड़ी या सड़क पर घूम रहे लोगों से हो जाए। ऐसे हादसों में उनकी जान भी जा सकती है।

THE HINDU

TIPSY TURVY

Drunk driving behind 70% accidents in Delhi: survey

OUT OF GEAR

What the survey found

WHY DO YOU DRINK AND DRIVE

The most recent case happened two days ago when a 21-year-old mowed down two men in Janakpuri

Money flows for alcohol

2. क्या है BAC (Blood Alcohol Content) –

अगर आपके प्रति 100mg खून में अल्कोहल की मात्रा 20mg से ज्यादा पाई जाती है तो इससे आपकी आंखों की रोशनी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। – अगर आपके प्रति 100उह खून में अल्कोहल की मात्रा 50mg से ज्यादा पाई गई तो आपकी बॉडी का रिएक्शन टाइम धीमा हो जाएगा और ऐसे में ड्राइविंग करना बेहद खतरनाक है। – अगर खून में BAC का लेवल 0.08 है तो ऐसी स्थिति में ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकना, स्पीड पर कंट्रोल ना होना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो खतरनाक है। – BAC लेवल 0.10 हो तो ड्राइवर की ब्रेक लगाने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। – BAC लेवल 0.15 या उससे ज्यादा होने पर ड्राइवर की ड्राइविंग करने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है और ऐसे में कार को हाथ ना लगाने में भी भलाई है।

THE HINDU

TUESDAY, SEPTEMBER 19, 2017

INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

CHENNAI · BENGALURU · HYDERABAD · MADURAI · NOIDA · VISAKHAPATNAM · THIRUVANANTHAPURAM · KOCHI · VIJAYAWADA · MANGALURU · TIRUCHIRAPALLI · KOLKATA · HUBBALLI · MOHALI · MALAPPURAM

Liquor flows freely for underage drinkers: survey

NGO conducts study to assess implementation of Delhi excise law; finds open violations at vends and bars

STAFF REPORTER
NEW DELHI

Underage drinking is common in Capital as youths below 25 years of age are able to buy liquor at vends, bars and pubs without furnishing age proof, says a survey conducted by a non-profit group – Community Against Drunken Driving (CADD).

According to the survey, though the legal drinking age in Delhi is 25 years, around 67% of the respondents in the age group of 19-25 years were never asked for age proof while buying alcohol from liquor vends.

However, 97.3% of all respondents were aware of the age limit on drinking.

The survey was conducted among 6,000 Delhi residents – 3,976 male and 2,024 female respondents, with 3,422 people in the age group of 18-25 years – between June 1 and August 31 this year.

Drunken driving

The aim of the survey was to assess the implementation of the Delhi excise law on the sale of alcohol to underage youths and whether the age of buyers was checked at point of sale/ service of alcohol, said CADD founder Prince Singhal.

According to the survey, almost all 6,000 respondents said their ID wasn't checked before they were allowed to buy or be served drinks.

"Government liquor vends, bars, pubs, excise department, police, none of them check the age of consumers, not only making a complete mockery of the minimum age law, but also severely fuelling underage drinking and drunk driving which results in loss of life in road accidents," said Mr. Singhal, adding that instances of such accidents would come down by 25% if proper checking was done.

According to the Community Against Drunken Driving, Delhi has a population of 18 million people, of which nearly 39% come in the drinking population bracket. There is no record of any person ever getting punished for selling or serving alcohol to those below 25 years of age.

Age no bar

It seems that liquor vends, pubs rarely ask for age proof

6,000 respondents to survey

3,422 between the age of 18 and 25

97.3% of respondents aware of legal drinking age

0.2% of respondents said they were asked for age proof

0 have faced any enforcement by excise or police dept

76% felt that age check will help check drunken driving accidents

SOURCE: COMMUNITY AGAINST DRUNKEN DRIVING

3. क्या कहता है कानून –

शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों पर रोक लगाने के लिए भारत में कानून बनाया गया है। कानून के मुताबिक अल्कोहल की अनुमेय सीमा 30mg अल्कोहल प्रति 100mg खून है। अगर किसी ड्राइवर के खून में अल्कोहल की मात्रा इस तय सीमा से ज्यादा पाई गई तो उसे जेल हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। – अगर आप पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तब आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन, अगर ये हरकत लगातार जारी रही तो अगली बार पकड़े जाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। – हालांकि दिल्ली में एक नए नियम के मुताबिक अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो पहली बार में ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है।

मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल, 2019 को लोकसभा में पेश किया. संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में सड़क यातायात उल्लंघन को लेकर नियमों को कड़ा किया गया है. संशोधित बिल में यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि अगर ड्राइविंग के दौरान जरा सी भी लापरवाही की, तो तकरीबन 10 गुना तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. प्रस्तावित बिल में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना की व्यवस्था की गई है स अंत हमें सरकार के द्वारा चलाई गई मुहिम का

ISBN: 978-81-955611-9-3

हिस्सा बनते हुए लोगों को यह समझाना चाहिए कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से वह अपना नुकसान तो करते ही हैं। साथ में वह दूसरे लोगों के लिए भी खतरा पैदा कर देते हैं।

संदर्भ :

1. The Hindu Newspaper
2. The Tribune Newspaper
3. Motor vehicle (Amendment) Act India 2019-

ISBN: 978-81-955611-9-3